



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं० पटना 577)

28 आषाढ़ 1928 (श०)
पटना, बुधवार, 19 जुलाई 2006

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

1 जुलाई 2006

सं०7/नि०3-02/06-973— भारत के संविधान की धारा 243 ब (12 वीं अनुसूची, मद संख्या-13) तथा पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 के धारा 473 सह पठित धारा 474, बिहार नगर निगम अधिनियम, 1978 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 (यथा संशोधित) के धारा 11 A सह पठित धारा 340 एवं 341 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु नियुक्ति के लिए निम्नांकित नियमावली बनाती हैं :—

नियमावली

प्रस्तावना— संविधान की धारा 21 'क' के अन्तर्गत 6—14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। इसके लिए राज्य के प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक प्रसार एवं सुधार के कार्यक्रमों को अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। हजारों नये प्रारंभिक विद्यालयों को खोलने तथा बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियोजन की आवश्यकता है। साथ ही 73वे एवं 74वे संविधान संशोधन के आलोक में प्रारंभिक शिक्षा में नगर निकाय संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रारंभिक शिक्षा के दायित्वों के निर्वहन का भार भी इन संस्थाओं को सौंपना आवश्यक हो गया है। अतएव इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर विशेष योजना के अधीन नियोजन हेतु यह नियमावली बनायी जा रही है।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ —
 - (i) यह नियमावली "बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006" कहीं जायेगी।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (iii) यह अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।
2. परिभाषाएँ — जब तक कोई बात विषय या प्रारंग के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में :—
 - (i) "प्राथमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है जैसे राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालय जहां वर्तमान में कक्षा पांच तक शिक्षा की व्यवस्था है;
 - (ii) "मध्य विद्यालय" से अभिप्रेत है जैसे राजकीय/राजकीयकृत जहां वर्तमान में कक्षा सात या कक्षा आठ तक की शिक्षा की व्यवस्था है;
 - (iii) "प्रारंभिक विद्यालय" से अभिप्रेत है राजकीय/राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य विद्यालय;
 - (iv) "नगर प्रारंभिक शिक्षक" से अभिप्रेत है नियमावली की कंडिका 4 के अनुसार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित होने वाले नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) एवं नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित)। नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) में शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी सम्मिलित होंगे;
 - (v) "श्रेणी" से अभिप्रेत है पंचायत शिक्षकों की श्रेणी;
 - (vi) "विभाग" से अभिप्रेत है मानव संसाधन विकास विभाग;
 - (vii) "नगर निकाय से अभिप्रेत है शहरी क्षेत्र के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन गठित स्वशासी संस्था यथा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत;

- (viii) "नगर निगम" से अभिप्रेत है बिहार नगर निगम अधिनियम, 2000 के तथा पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 अन्तर्गत गठित नगर निगम;
- (ix) "नगर परिषद्" से अभिप्रेत है बिहार नगर निगम अधिनियम, 1922 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत गठित नगर परिषद्;
- (x) "प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय प्रशिक्षण अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एल०एड० या बी०एड०;
- (xi) "विद्यालय शिक्षा समिति" से अभिप्रेत है प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण हेतु विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2000 के अधीन गठित समिति;
- (xii) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से अभिप्रेत है" NCTE या अन्य किसी नाम से विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को नियमित करनेवाली परिषद्;
- (xiii) "उर्दू इकाई" से अभिप्रेत है प्रारम्भिक विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले कम-से-कम दस तथा अधिकतम तीस बच्चों के लिए एक शिक्षक का पद;
- (xiv) "कार्यपालक पदाधिकारी" अभिप्रेत है किसी नगरपरिषद् या नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी;
- (xv) "मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है किसी नगर निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (निगम आयुक्त) ।

3- नगर प्रारम्भिक शिक्षकों की श्रेणी :-

नगर प्रारम्भिक शिक्षक दो श्रेणी के होंगे:-

- (क) नगर शिक्षक (प्रशिक्षित)
(ख) नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित)

4- नगर प्रारम्भिक शिक्षकों का नियोजन :-

- (i) शिक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त दोनों स्तरों पर कोटिवार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का पैनल अलग-अलग तैयार किया जायेगा । सर्वप्रथम प्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन किया जायेगा । तत्पश्चात रिक्ति उपलब्ध होने पर अप्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन भी किया जा सकेगा और उन्हें दो वर्षीय प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी ।
- (ii) आरक्षित कोटि में उच्चतर माध्यमिक / इन्टरमीडियट परीक्षा पास उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक परीक्षा पास उम्मीदवारों को भी नियोजित किया जा सकेगा । परन्तु उन्हें निर्धारित योग्यता अधिकतम 6 वर्षों के अन्दर प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

5- आरक्षण :-

- (क) "नगर प्रारम्भिक शिक्षक" का नियोजन आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा ।
- (ख) प्रत्येक कोटि में न्यूनतम 50% महिला का नियोजन किया जायेगा । विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जायेगा ।
- (ग) 50% पुरुष एवं 50% महिला के लिए पदों के निर्धारण के बाद आरक्षण विन्दु 1 से प्रारम्भ होगा । इसके लिए अलग-अलग रोस्टर पंजी संधारित की जायेगी ।

(घ) नगर प्रारम्भिक शिक्षक के प्रत्येक कोटि में तीन प्रतिशत विकलांग (दृष्टि बाधित 1% श्रवण बाधित 1% तथा अस्थिजन्य निःशक्त 1%) उम्मीदवारों का नियोजन किया जायेगा ।

टिप्पणी - मेधा के आधार पर चयन होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को विकलांग होने के कारण नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा ।

6- उर्दू शिक्षकों का नियोजन:-

विद्यालय के मात्र उर्दू इकाईयों पर उर्दू योग्यता रखने वाले तथा मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा ।

7- शारीरिक शिक्षा शिक्षक का नियोजन:-

प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक का नियोजन किया जायेगा ।

8- नियुक्ति हेतु :-

(क) अर्हता:

नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) के लिये:-

1. भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो ।
2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अथवा शिक्षा में 2 वर्षीय सर्टिफिकेट अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक (बी०एल०एड०) अथवा बी०एड० के साथ स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता ।

शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए न्यूनतम दो वर्षों का सर्टिफिकेट (सी०पी०एड०) अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त हो ।

परन्तु इस नियमावली के अधीन प्रथम नियोजन में जैसे उम्मीदवारों का भी नियोजन किया जा सकेगा, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय से दो वर्षों का शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा/बी०एड०/2 वर्षों का शारीरिक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट (सी० पी० एड०) पास हो ।

नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित) के लिये -

1. भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो ।
2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

(ख) आयु :-

जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग को 5 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष तथा प्रत्येक कोटि की महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

परन्तु, नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) के नियोजन के प्रथम नियोजन में अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त रहेगी ।

9- नियोजन की प्रक्रिया :-

- (i) राज्य सरकार नगर प्रारम्भिक शिक्षकों के नियोजन हेतु समय-समय पर पदों की संख्या उपलब्ध करायेगी ।
- (ii) नगर निगम /नगरपरिषद/नगर पंचायत द्वारा कोटिवार नगर प्रारम्भिक शिक्षक के रिक्त पदों की सूचना का प्रकाशन पूरे क्षेत्र में कम से कम 15 दिनों तक के लिए किया जायेगा ।
- (iii) विहित प्रपत्र (अनुसूची- I) में आवेदन पत्र इस नियमावली के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्य सचिव के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा तथा तुरन्त एक प्राप्ति रसीद दी जायेगी/भेजी जायेगी ।

(iv) नगर शिक्षक के नियोजन हेतु पैनल :-

(क) नगर शिक्षक का पैनल नगर निकाय के महापौर तथा नगर परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा मेधा के आधार पर तैयार किया जायेगा । मेधा अंकों की गणना निम्न प्रकार की जाएगी :-

1. मैट्रिक /उच्चतर माध्यमिक /इन्टरमीडिएट — प्राप्तांक का प्रतिशत
2. दो वर्षीय प्रशिक्षण /बी०एल०एड० /बी०एड० /सी०पी०एड० — प्राप्तांक का प्रतिशत

परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी दो वर्षीय प्रशिक्षण तथा बी०एल०एड० /बी०एड० /सी०पी०एड० की डिग्री प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा दावा किये गये किसी एक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के प्रतिशत को मेधा अंक में जोड़ा जायेगा ।

उपरोक्त 1 और 2 को जोड़कर तथा जोड़ को दो से भाग देने पर जो प्रतिशत होगा, वही अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा ।

- (v) बी०एड० /सी०पी०एड० योग्यताधारी नगर शिक्षक /शारीरिक शिक्षा शिक्षक का नियोजन केवल मध्य विद्यालय में किया जायेगा ।
- (vi) उपरोक्त के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षक का पैनल अलग से तैयार किया जायेगा ।
- (vii) नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित) का पैनल उच्चतर माध्यमिक /इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर तैयार किया जायेगा ।
- (viii) समान अंक प्राप्त होने पर, जिनकी जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें पैनल में उपर रखा जायेगा । समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर ड्रॉ ऑफ लॉट के द्वारा पैनल में उपर स्थान निर्धारित होगा ।

(ix) पैनल निर्माण हेतु समिति का गठन तथा अनुमोदन :-

प्राप्त आवेदन पत्र के अधार पर पैनल का निर्माण निम्नलिखित समिति के द्वारा किया जायेगा :-

(क) - नगर परिषद /नगर पंचायत के लिए समिति

- I. नगर परिषद /नगर पंचायत का अध्यक्ष — अध्यक्ष
- II. नगर परिषद /नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी — सदस्य
- III. नगर परिषद /नगर पंचायत का शिक्षा समिति के एक चयनित सदस्य — सदस्य
(पुरुष अध्यक्ष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)

IV. नगर परिषद/नगर पंचायत में अवस्थित सबसे पुराना माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक शिक्षक - सदस्य

V. संबंधित अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य सचिव

टिप्पणी:- नगर परिषद/नगर पंचायत की शिक्षा समिति के गठन नहीं होने के स्थिति में संबंधित अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किसी एक पदाधिकारी को समिति में सदस्य मनोनीत किया जा सकेगा।

(ख) - नगर निगम के लिए समिति

I. नगर निगम के महापौर - अध्यक्ष

II. नगर निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सदस्य

III. नगर निगम के शिक्षा समिति के एक चयनित सदस्य - सदस्य

(पुरुष अध्यक्ष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)

IV. नगर निगम में अवस्थित सबसे पुराना राजकीय/राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक - सदस्य

V. जिला शिक्षा अधीक्षक - सदस्य सचिव

टिप्पणी:-नगर निगम की शिक्षा समिति के गठन नहीं होने के स्थिति में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किसी एक पदाधिकारी को समिति में सदस्य मनोनीत किया जा सकेगा।

परंतु उपरोक्त दोनों समितियों में चयनित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

- (x) पैनल तैयार हो जाने पर उसे सार्वजनिक किया जायेगा। किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर पैनल को अन्तिम रूप दिया जायेगा।
- (xi) तैयार पैनल का अनुमोदन कमशः नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के द्वारा किया जायेगा।
- (xii) चयनित अथ्यर्थियों का इच्छित विद्यालयों में नियोजन मेधा सूची के आधार पर अनुसूची-II में अंकित प्राथमिकता के अवरोही क्रम में उपरोक्त समिति द्वारा काउन्सिलिंग के आधार पर किया जायेगा।
- (xiii) चयनित अभ्यर्थी को नियोजन-सह-सहमति पत्र (अनुसूची-III) भेजा जायेगा। सहमति पत्र के आधार पर योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

10- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति:-

शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर निर्धारित योग्यता के अनुरूप नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) तथा नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित) के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन किया जा सकेगा यदि वे स्पष्ट रूप से इसके लिए अपनी सहमति देते हैं। नियोजन सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधित निर्धारित अन्य शर्तों के आलोक में उपरोक्त समितियों द्वारा किया जा सकेगा। अप्रशिक्षित आश्रितों को नियोजन के बाद उन्हें अधिकतम 6 वर्षों के अन्दर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।

11- प्रमाण पत्रों की जाँच:-

नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि वे प्रशिक्षण या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जाँच करा लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12- सेवा संबंधी अन्य शर्तें :-

- (i) नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) को नियत वेतन के आधार पर नियोजित किया जायेगा और उन्हें रु. 5,000 प्रतिमाह देय होगा।
- (ii) नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित) को नियत वेतन पर नियोजित किया जायेगा तथा उन्हें रु. 4,000 प्रतिमाह देय होगा।
- (iii) प्रत्येक तीन वर्षों के बाद यथा निर्देशित मूल्यांकन के आधार पर नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) अपने एकमुस्त वेतन में 500 रुपये वृद्धि के हकदार होंगे तथा नगर शिक्षक (अप्रशिक्षित) 300 रुपये वृद्धि के हकदार होंगे।
- (iv) ऐसे नियोजित शिक्षक अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियोजित रह सकेंगे।
- (v) अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E) द्वारा अनुमोदित दो वर्षों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। 6 वर्षों के बाद सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक का नियत वेतन देय होगा।
- (vi) प्रशिक्षित शिक्षकों तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए भी नियमित रूप से सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिसमें उनका भाग लेना अनिवार्य होगा।
- (vii) इस नियमावली के अधीन नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार का भत्ता यथा महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

13- स्थानान्तरण :-

- (i) नगर प्रारंभिक शिक्षक का पद अस्थानान्तरणीय होगा।
परन्तु नगर शिक्षक (प्रशिक्षित) को अपनी सेवा काल में तीन वर्षों के बाद अधिकतम दो स्थानान्तरण लेने की सुविधा रहेगी।
- (ii) यदि किसी विद्यालय के एक रिक्त पद हेतु एक से अधिक स्थानान्तरण के आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अनुसूची-II के अवरोही क्रम में शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी और इस प्रकार के स्थानान्तरण की कार्रवाई कंडिका 9 (ix) में गठित समिति के द्वारा की जायेगी।

14- सेवा पुस्तिका का संधारण :-

नगर प्रारंभिक शिक्षक की सेवा पुस्तिका का संधारण संबंधित नगर निकाय के द्वारा किया जाएगा।

15- छुट्टी :-

नगर प्रारंभिक शिक्षक को वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश देने की शक्ति विद्यालय के प्रधान की होगी। महिला नगर शिक्षिका 90 दिनों की मातृत्व अवकाश की हकदार होगी।

16- वेतन भुगतान:-

- (i) नगर प्रारंभिक शिक्षक का वेतन भुगतान चेक/अन्तरण द्वारा किया जायेगा।

